FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0072 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 04/05/2024 15:13 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 20/03/2024 **Date To (दिनांक तक):** 02/05/2024
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:30 बजे **Time To (समय तक):** 17:47 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/05/2024 **Time (समय):** 14:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 04/05/2024 15:13:18 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 40 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** BHILWARA RAJSAMAND HIGHWAY, MAHENDRA PARAS HOTEL, BHILWARA

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): BARDU BAIRWA

(b) Father's Name (पिता का नाम): LALA RAM

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1978 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SATLIYAS, GANGAPUR, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SATLIYAS, GANGAPUR, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): 91-9983357717

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAM LAL		पिता:BARDI CHAND MALI	1. NEAR SAI SIDDHARTH SCHOOL,GANGAPUR,BHILWARA,SAHARA,BHILWARA,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	भारतीय चलन मुद्रा 15,000 डमी नोट 1,35,000	1,50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय जी, वाकियात मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.03.2024 को समय 12.30 पी.एम. पर परिवादी श्री बरदू बैरवा पुत्र लाला बैरवा गांव सातलियास तहसील गंगापुर जिला भीलवाडा ने ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित होकर श्री मंषाराम पुलिस निरीक्षक को एक टाइपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि '' मैं बरदू बैरवा पुत्र लाला बैरवा गांव सातलियास तहसील गंगापुर जिला भीलवाडा का मुल निवासी हूं तथा गांव सातलियास में ही अपने परिवार सहित रह रहा हूं। मेरे घर के पास ही पडौस में मेरे भाई श्याम जी बैरवा के पत्नी गोदावरी देवी के नाम का भी एक प्लोट स्थित है। मेरे बडे भाई श्याम जी बैरवा अभी गांव में नही है कही बाहर काम धन्धे की वजह से गए हुए है। मेरे भाई श्याम जी की पत्नी गोदावरी देवी के नाम से उस प्लोट के पट्टे और रजिस्ट्री ग्राम पंचायत से लाने के लिये मेरे भाई श्याम जी ने मुझे जिम्मेदारी दे रखी हैं। क्योकी उनको समय नहीं मिलता हैं। इसलिये मैने मेरे भाई श्याम जी बैरवा के उस प्लोट के पट्टा व रजिस्ट्री प्राप्त करने के लिये तथा साथ ही मैंने मेरे घर के पास ही स्थित मेरे एक पुराने कब्जा किये हुये प्लोट का भी पट्टा बनाने के लिये ग्राम पंचायत सातलियास के सचिव साहब राम जी माली से संपर्क किया तो सचिव साहब राम जी माली ने मुझसे 2,50,000/-रूपये रिश्वत की मांग की हैं। सचिव साहब राम जी माली की अभी नेगडिया खेडा ग्राम पंचायत में डयुटी लगी हुई है। मैं अनपढ आदमी हुं इसलिये सरकारी कामकाज के बारे में ज्यादा जानता नहीं हुं। मेरी सचिव साहब से कोई रंजिश या दुश्मनी नहीं है तथा न ही मेरी उनसे कोई उधार या कोई भी रूपयो की लेनदेन बकाया हैं। मैं सचिव साहब राम जी माली को रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। क्योंकि मैं अनपढ आदमी हुं इसलिये मैं मेरी यह रिपोर्ट कोर्ट के बाहर टेबल लगाकर बैठे एक कम्प्युटर टाईपिंग वाले से लिखवा कर लाया हुं। रिपोर्ट पेश करता हुं। कानुनी कार्यवाही करावें।'' इसके उपरान्त पुलिस निरीक्षक मंशाराम द्वारा परिवादी श्री बरदु बैरवा द्वारा पेष रिपोर्ट से तथा दरियाप्त से मामला अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आना पाया जाने से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने हेतु समय 01.30 पी.एम. पर परिवादी श्री बरदु बैरवा को उसकी निजी मोटरसाईकिल से तथा कानि. भंवरदान नं. 414 को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड लगे हुये को सूपुर्द कर उसे उसकी स्वयं की निजी मोेटरसाइकिल से अलग-अलग साथ ही ब्यूरो कार्यालय से ग्राम सातलियास जिला भीलवाडा की ओर रवाना किया। जो समय 08.00 पी.एम. पर श्री भंवरदान कानि. नं. 414 अपनी निजी मोटरसाइकिल से ग्राम सातलियास जिला भीलवाडा की ओर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु गया हुआ पुनः ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द उपस्थित होकर बताया कि ''मैं और परिवादी श्री बरदु जी बैरवा दोनो अपनी-अपनी निजी मोटरसाइकिल से रवाना होकर समय 03.20 पी.एम. पर ग्राम सातलियास पहुंचे। जहां पर परिवादी श्री बरदु जी बैरवा ने समय 04.24 पीएम पर परिवादी बरदु बैरवा ने अपने मोबाईल नंबर 9983357717 से संदिग्ध कर्मचारी राम जी माली ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नं. 9649549048 पर साधारण कॉल की जिस पर संदिग्ध कर्मचारी श्री राम जी माली ग्राम विकास अधिकारी ने नेगडिया खेडा होना बताया तथा एक घंटे बाद गंगापुर ही आने के लिये कहा। उक्त मोबाईल वार्ता को मैने डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर में नियमानुसार रिकॉर्ड कर लिया था तथा डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर को मैनें अपने पास ही सुरक्षित रख लिया। तत्पश्चात परिवादी बरदु बैरवा अपनी निजी मोटरसाइकिल से तथा मैं अपनी मोटरसाईकिल से रवाना हो गंगापुर पुलिस थाने से कुछ पहले हाईवे रोड के किनारे सुनसान जगह पर रूक कर संदिग्ध कर्मचारी श्री राम जी माली ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल फोन कॉल का इंतजार करने लगे। परन्तु उक्त संदिग्ध कर्मचारी श्री राम जी माली का मोबाईल फोन कॉल नहीं आने पर उसकी लोकेशन जानने हेतु समय 05.24 पी.एम. पर परिवादी श्री बरदु बैरवा ने अपने मोबाईल नंबर 9983357717 से संदिग्ध कर्मचारी राम जी माली ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल फोन नं. 9649549048 पर कॉल की जिस पर संदिग्ध कर्मचारी श्री राम जी माली ग्राम विकास अधिकारी ने सहाडा होना बताकर सहाडा ही आने के लिये बताया। तत्समय ही परिवादी ने मुझे बताया की वह सहाडा पंचायत समिति भवन में ही मिलेगा इसलिये राम जी माली सचिव साहब से वहीं जाकर रिश्वत के संबंध में बातचीत हो सकेगी। उक्त मोबाईल वार्ता को भी मैंने डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर में नियमानुसार रिकॉर्ड कर लिया था। तत्पश्चात वहां से अपनी-अपनी मोटरसाइकिल से मैं और परिवादी बरदु जी बैरवा दोनो रवाना हो पंचायत समिति परिसर सहाडा से पूर्व हाईवे रोड किनारे ही एक सुनसान जगह पर पहुंच मैंने समय 05.33 पीएम पर परिवादी श्री बरदु जी बैरवा को डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर सूपुर्द कर उक्त संदिग्ध

कर्मचारी श्री राम जी माली ग्राम विकास अधिकारी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लाने हेतु उसकी निजी मोटरसाइकिल से रवाना किया तथा मैं भी अपनी मोटरसाइकिल से परिवादी बरदु जी बैरवा के क्रियाकलाप को देखने हेतु उसके पीछे-पीछे ही रवाना हो ग्राम पंचायत भवन सहाडा के पास पहुंच अपनी मोटरसाइकिल खडी कर वहीं पर छुपाव हासिल कर रूका रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी बरदु जी बैरवा ग्राम पंचायत सहाडा से रवाना हो हाईवे रोड के किनारे उसी स्थान के लिये रवाना हुआ जहां से मैनें उसे डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर चालु कर दिया था तो मैं भी उस स्थान पर अपनी मोटरसाइकिल से पहुंचा जहां पर परिवादी बरदु जी बैरवा अपनी मोटरसाइकिल खडी कर मेरे पास आया तो मैनें उससे डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर को लेकर उसे बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी बरदु जी बैरवा ने मुझे बताया कि ''मैंने ग्राम पंचायत सहाडा जाकर राम जी माली सचिव साहब को फोन किया तो उन्होने मुझे पंचायत भवन के आगे की ओर बुलाया और बातचीत की तो मैंने उनसे जब मेरे भाई के प्लोट के पट्टे और रजिस्ट्री मांगे तो राम जी माली सचिव साहब ने मुझसे कहां की रूपये दोगे तो पट्टा मिलेगा और जब मैनें उनको मेरे भाई के प्लोट का पट्टा देने के बदले कितने रूपये देने है के बारे में पुछा तो कहा कि मैं वह तो अपनी डायरी देख कर ही बताउंगा। उसके बाद उसने मुझे सातलियास में ही मेरे घर के पास ही स्थित मेरे कब्जे किये हुये प्लोट का पट्टा देने के बदले मुझसे 250000 रूपये की जगह 1,50,000 रूपये (डेढ लाख रूपये) में पट्टा देने के लिये कहा और यह भी कहा कि पट्टा और रसीदे भी 1,50,000 रूपये (डेढ लाख रूपये) में ही दिला दुंगा तथा अभी ग्राम पंचायत सातलियास में लगे हुये सचिव को सेट कर देने और सभी काम करा देने के लिये कहकर साथ ही यह भी कहा कि आप कही से भी व्यवस्था कर रूपये लाओ आपका काम मैं करा दुंगा।'' परिवादी श्री बरदु जी बैरवा ने मुझे यह भी कहा कि ''राम जी माली सचिव साहब ने मुझे मेरे भाई के पट्टे और रजिस्ट्री के बदले कितने रूपये रिश्वत के रूप में देने है जो साफ नहीं बताये हैं। '' तत्पश्चात श्रीमान् के निर्देशानुसार परिवादी को ग्राम सातलियास से रूखसत कर मैं मेरी निजी मोटरसाइकिल से रवाना हो ब्यूरो कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया'' तत्पश्चात कानि. भंवरदान ने अपने पास सुरक्षित रखे डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर को पुलिस निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे पुलिस निरीक्षक द्वारा टेप रिकॉर्डर चालू कर सुना परन्तु रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता स्पष्ट नहीं होने से पुनः परिवादी श्री बरदु बैरवा व संदिग्ध कर्मचारी श्री राम जी माली ग्राम विकास अधिकारी के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कराया जाना आवश्यक हो, अग्रिम कार्यवाही संदिग्ध कर्मचारी श्री राम जी माली ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा परिवादी से संपर्क करने पर ही संभव होने से उक्त कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय के मालखाने में रखने हेतु श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नं. 117 को सुपूर्द किये। दिनांक 28.03.2024 को समय 01.40 पीएम पर भंवरदान कानि. नं. 414 को परिवादी से संपर्क कर आरोपी से रिश्वत राषि मांग सत्यापन वार्ता कराने हेतु भिजवाया गया। परन्तु संदिग्ध कर्मचारी श्री राम जी माली ग्राम विकास अधिकारी से संपर्क नही हो पाने से रिष्वत राषि मांग सत्यापन वार्ता नहीं हो पायी । पुलिस निरीक्षक श्री मंशाराम के अवकाष में होने से दिनांक 13.04.2024 को समय 07.45 ए.एम. पर कानि. भंवरदान नं. 414 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कार्यालय कक्ष में आकर बताया कि ''मेरी अभी-अभी गोपनीय कार्यवाही के परिवादी बरदु जी बैरवा से जरिये दुरभाष वार्ता हुई है उन्होने बताया की राम जी माली सचिव साहब आज मेरे गांव सातलियास के पास ही हाइवे रोड के किनारे स्थित मुमल होटल पर आयेगा और वही मुझसे वह रिश्वत के बारे में बातचीत करेगा।'' इस पर भंवरदान कानि. नं. 414 के बताये हालात अनुसार अग्रिम कार्यवाही करने के संबंध में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री गोविन्दनारायण हैड कानि. नं. 117 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर कार्यालय के मालखाना में पूर्व में पुलिस निरीक्षक मंशाराम द्वारा दिनांक 28.03.2024 को सुरक्षित रखे हुये उक्त कार्यवाही के रनिंग नोट व परिवादी श्री बरदु बैरवा द्वारा प्रस्तुत टाइपशुदा प्रार्थना पत्र रिपोर्ट तथा उक्त कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगे हुये को मंगवाकर अपने पास सुरक्षित रखे तथा रनिंग नोट व परिवादी श्री बरदु बैरवा द्वारा प्रस्तुत टाइपशुदा प्रार्थना पत्र रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही के क्रम में पुनः रिश्वत राशि मंाग सत्यापन वार्ता कराया जाना उचित होना पाया गया। दिनांक 13.04.2024 को समय 08.00 ए.एम. पर कानि. भंवरदान नं. 414 को कार्यवाही मे प्रयुक्त डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगे हुये को सूपुर्द कर परिवादी बरदु बैरवा से संपर्क करके स्पष्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कराकर लाने हेतु उसकी निजी मोटरसाइकिल से ग्राम सातलियास जिला भीलवाडा की तरफ रवाना किया तथा साथ ही हिदायत भी की कि यदि मांग सत्यापन वार्ता के पश्चात अंधेरा होने वाला हो तो दुरी होने के कारण परिस्थिति अनुसार परिवादी को वहीं पर उसके घर जाने हेतु रूकसत कर देवें। समय 12.45 पी.एम. पर श्री भंवरदान कानि. नं. 414 अपनी निजी मोटरसाइकिल से ग्राम सातलियास जिला भीलवाडा रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु गया हुआ पुनः ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द उपस्थित आया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष कानि. भंवरदान नं. 414 ने कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर अपने पास सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को प्रस्तुत किया तथा हालात बताये कि ''मैं आपके निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द से मेरी निजी मोटरसाइकिल से रवाना होकर समय 09.30 ए.एम. पर ग्राम सातलियास पहुंचा। जहां पर परिवादी श्री बरदु जी बैरवा से जरिये दुरभाष संपर्क किया तो उसके बताये अनुसार पास ही स्थित एक सुनसान खेत के पास पहुंचा जहां पर परिवादी बरदू बैरवा उपस्थित मिला। तत्पश्चात परिवादी बरदु बैरवा ने मुझे बताया कि ''इस समय राम जी माली सचिव साहब सातलियास गांव के पास ही

हाइवे रोड के किनारे स्थित मुमल होटल पर बैठा हुआ है और मुझे वही पर बुलाया हैं'' जिस पर मैनें परिवादी बरदु बैरवा को समय 10.22 ए.एम पर डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर चालु कर सूपुर्द कर उक्त संदिग्ध कर्मचारी श्री राम जी माली ग्राम विकास अधिकारी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लाने हेतु उसकी निजी मोटरसाइकिल से रवाना किया तथा मैं भी अपनी मोटरसाइकिल से परिवादी बरदु जी बैरवा के क्रियाकलाप को देखने हेतु उसके पीछे-पीछे ही रवाना हो हाइवे रोड किनारे मुमल होटल के पास ही कुछ दुरी पर अपनी मोटरसाइकिल खडी कर वहीं पर छुपाव हासिल कर रूका रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी बरदु जी बैरवा मुमल होटल से रवाना हो हाईवे रोड के किनारे उसी स्थान के लिये रवाना हुआ जहां से मैनें उसे डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर चालु करके दिया था तो मैं भी उस स्थान पर अपनी मोटरसाइकिल से पहुंचा जहां पर परिवादी बरदु जी बैरवा अपनी मोटरसाइकिल खडी कर मेरे पास आया तो मैनें उससे डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर को लेकर उसे सर्वप्रथम बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी बरदु जी बैरवा ने मुझे बताया कि ''मैंने राम जी माली सचिव साहब से मुमल होटल पर जाकर रिश्वत के बारे में बातचीत की तो उन्होने मुझसे 1,50,000 रूपये (डेढ लाख रूपये) रिश्वत के रूप में मांगे और डेढ लाख रूपये रिश्वत राषि देने पर ही प्लोट का पट्टा और रजिस्ट्री देने के लिये कहा और मैनें राम जी माली सचिव साहब को रसीद के लिये कहा तो उन्होने मुझे 1500/- रूपये के लिये कहा हैं उसके बाद मेरे घर पर बकरीयों के लिये चारा-घास डालना था इसलिये मैं जल्दी में आपके पास आ गया हुं जबकि राम जी माली अभी मुमल होटल पर ही बैठे हैं'' तत्पश्चात मैंने परिवादी बरदु बैरवा को रसीदों के रूपये देने के संबंध में पुछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि '' मैं जल्दी में आपके पास आ गया हुं इसलिये मैं वापस राम जी माली सचिव साहब से मिलकर आता हुं और रसीदों के रूपये भी देकर आ जाता हुं।'' इस पर मैंने उसी स्थान से पुनः परिवादी बरदु बैरवा को समय 10.52 ए.एम पर डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर चालु कर सूपुर्द कर उक्त संदिग्ध कर्मचारी श्री राम जी माली ग्राम विकास अधिकारी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लाने हेतु उसकी निजी मोटरसाइकिल से रवाना किया तथा मैं भी अपनी मोटरसाइकिल से परिवादी बरदु जी बैरवा के क्रियाकलाप को देखने हेतु उसके पीछे-पीछे ही रवाना हो हाइवे रोड किनारे मुमल होटल के पास ही कुछ दुरी पर अपनी मोटरसाइकिल खडी कर वहीं पर छुपाव हासिल कर रूका रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी बरदु जी बैरवा मुमल होटल से रवाना हो हाईवे रोड के किनारे उसी स्थान के लिये रवाना हुआ जहां से मैनें उसे डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर चालु करके दिया था तो मैं भी उस स्थान पर अपनी मोटरसाइकिल से पहुंचा जहां पर परिवादी बरदु जी बैरवा अपनी मोटरसाइकिल खडी कर मेरे पास आया तो मैनें उससे डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर को लेकर उसे बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी बरदु जी बैरवा ने मुझे बताया कि ''मैंने राम जी माली सचिव साहब से मुमल होटल पर जाकर रसीदों के रूपये के संबंध में बात की तो उन्होंने मुझे 1500 रूपये के लिये कहा तो मैंने उन्हे मेरे प्लोट के पट्टे के रसीद के लिये और मेरे भाई श्याम जी की पत्नी के नाम के प्लोट के लिये मैंनें 1500-1500 रूपये के हिसाब से दो रसीदों के कुल 3000 रूपये दे दिये है और राम जी माली ने मुझे मेरी पत्नी के नाम पर पट्टा जारी कराने के लिये भी कहा है और बाकी डेढ लाख रूपये भी कल लाकर देने के लिये कहा है'' तत्समय ही परिवादी बरदु बैरवा ने यह भी कहा कि '' राम जी माली सचिव साहब निम्बाहेडा शादी में जाने के लिये कह रहे थे इसलिये कल मैं उनको डेढ लाख रूपये रिश्वत राशि नहीं दे सकता हुं और जब भी राम जी माली शादी से आयेगे और वो मुझे फोन करके बता देगे तब ही मैं रिश्वत में देने के लिये रूपये लेकर आपके पास फोन करके आ जाउंगा'' तत्पश्चात श्रीमान् के निर्देशानुसार परिवादी श्री बरदु जी बैरवा को ग्राम सातलियास से रूखसत कर मैं मेरी निजी मोटरसाइकिल से रवाना हो ब्यूरो कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया ।'' तत्पश्चात कानि. भंवरदान ने अपने पास सुरक्षित रखे डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे मैनें अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात कानि. भंवरदान द्वारा बताये गये हालात की पुष्टि करने हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर को चालु कर सुना तो कानि. भंवरदान के बताये हालातों की पुष्टि हुई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर को कार्यालय में ही अपने पास सुरक्षित रखा। दिनांक 01.05.2024 को टेªप कार्यवाही का आयोजन होने से समय 08.00 ए.एम पर पूर्व पाबंद शुदा दो स्वतंत्र गवाहान श्री मंगलचन्द लेघा निजी सहायक-द्वितीय, व श्री हनुमान राम कनिष्ठ सहायक, कार्यालय खनि अभियन्ता राजसमन्द खण्ड प्रथम तथा भूमि विकास बैंक राजसमन्द का अनुबंधित वाहन बोलेरो नं. आर0जे0-30-टी0ए0-1860 मय वाहन चालक श्री सोहन लाल तथा परिवादी श्री बरदु बैरवा उपस्थित ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द आये तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं राम जी माली सचिव साहब को देने के लिये रिश्वत राषि के रूप में 15000/- रूपये तो असली और एक लाख 35 हजार रूपये के नकली नोटो की व्यवस्था करके आपके समक्ष उपस्थित आया हुं। जिस पर परिवादी श्री बरदु बैरवा को कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। कार्यालय कक्ष में उपस्थित परिवादी श्री बरदु बैरवा व स्वतंत्र गवाहान श्री मंगलचन्द लेघा हाल निजी सहायक-द्वितीय, कार्यालय खनि अभियन्ता राजसमन्द खण्ड प्रथम व श्री हनुमान राम हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय खनि अभियन्ता राजसमन्द खण्ड प्रथम का आपस में एक-दुसरे का परिचय करवाया गया। इसके उपरांत उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा दिनांक 20.03.2024 को प्रस्तुत टाइप षुदा प्रार्थना-पत्र पढकर सुनाया तथा पढ़ाया गया । दोनो स्वतंत्र गवाहान को की जाने वाली टेªप कार्यवाही में बतौर गवाह रहने की सहमति चाही गई जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी से आवश्यक पूछताछ कर गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतोर गवाहान के रूप में उपस्थित रहने हेतु

अपनी-अपनी सहमति दी गई तत्पश्चात्् परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। त्तपश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के े द्वारा परिवादी श्री बरदू बैरवा पुत्र श्री लाला, जाति बैरवा, उम्र 46 साल, निवासी गांव सातलियास, तहसील व पुलिस थाना गंगापुर, जिला भीलवाडा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री बरदू बैरवा ने अपने पास से रिष्वत में दी जाने वाली राषि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोट कुल 15,000/-रूपये एवं 500-500 रूपये के 270 डमी नोट कुल 1,35,000/- रूपये के डमी नोट प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोट जिनके नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित किये गये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त डमी नोटों की तीन गड्डियां बनाकर उक्त तीनों गड्डियों की फोटों ली जाकर शामिल कार्यवाही की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के उपरोक्त समस्त नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु मालखाना प्रभारी श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नम्बर 117 की उपस्थिति में श्रीमती तारा महिला कानि0 नं. 259 से कार्यालय के मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर अखबार बिछा कर अखबार पर परिवादी श्री बरदू बैरवा द्वारा प्रस्तुत समस्त नोटों के दोनों ओर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु निर्देषित करने पर श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 द्वारा उक्त समस्त नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया तथा परिवादी श्री बरदू बैरवा की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री मंगलचन्द लेघा निजी सहायक-द्वितीय से लिवाई जाकर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे समस्त नोटों को डमी नोटों की तीन गड्डियों की प्रत्येक गड्डी में 10-10 नोट (5 नोट उपर व 5 नोट नीचे) रखकर उक्त तीनों गड्डीयों को परिवादी श्री बरदू बैरवा के शरीर पर पहने हुए कुर्ते की दाहिनी जेब में कोई वस्तु नहीं छोडते हुए श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 से रखवाये गये। तत्पश्चात् एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जाकर दोनो ही स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री बरदू बैरवा को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 के हाथ की उंगलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी श्री बरदू बैरवा तथा स्वतंत्र गवाहान श्री मंगलचन्द लेघा हाल निजी सहायक-द्वितीय एवं श्री हनुमान राम कनिष्ठ सहायक कार्यालय खनि अभियन्ता राजसमन्द खण्ड प्रथम के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वत में उक्त राशि को मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो उक्त नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की उंगलियों को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है एवं परिवादी श्री बरदू बैरवा को डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की पुनः समझाईस कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी श्री बरदू बैरवा को सिपुर्द कर हिदायत दी गई तथा फर्द पेशकशी नोट व सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सिपूर्दगी डिजीटल वॉईस टेप रिकॉर्डर जुदागाना तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 01.05.2024 को समय 10.15 ए.एम पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु परिवादी श्री बरदु बैरवा को उसकी निजी मोटरसाइकिल से ग्राम सातलियास के लिये रवाना कर उसके पीछे-पीछे कानि. प्रदीप सिंह नं. 162 व भंवरदान नं. 414 को उसकी निजी मोटरसाइकिल से रवाना कर साथ ही मन् हिम्मत चारण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो टीम के सदस्य श्री यषवन्त ंिसंह वरिष्ठ सहायक, श्री जितेन्द्र कुमार कानि. नं. 262 व चालक मनोज कुमार कानि. नं. 23 मय लेपटॉप, प्रिन्टर, टे्प बॉक्स व ब्यूरो के सरकारी वाहन स्विफ्ट कार नं. आर0जे0-14-वी0सी0-2589 से तथा श्री मंषाराम पुलिस निरीक्षक मय हैड कानि. नं. 117, महिला हैड कानि. श्रीमती सीता नं. 233 व स्वतंत्र गवाह श्री मंगलचन्द लेघा व श्री हनुमान राम मय भूमि विकास बैंक राजसमन्द के अनुबंधित वाहन बोलेरो नं. आर0जे0-30-टी0ए0-1860 व चालक श्री सोहनलाल के ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द से ग्राम सातलियास जिला भीलवाडा के लिये रवाना हुये। समय 11.45 ए.एम पर मन् हिम्मत चारण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो टीम के सदस्य श्री यषवन्त ंिसंह वरिष्ठ सहायक, श्री जितेन्द्र कुमार कानि. नं. 262 व चालक मनोज कुमार कानि. नं. 23 मय लेपटॉप, प्रिन्टर, टे्प बॉक्स व ब्यूरो के सरकारी वाहन स्विफ्ट कार नं. आर0जे0-14-वी0सी0-2589 से तथा श्री मंषाराम पुलिस निरीक्षक मय हैड कानि. नं. 117, महिला हैड कानि. श्रीमती सीता नं. 233 व स्वतंत्र गवाह श्री मंगलचन्द लेघा व श्री हनुमान राम प्रजापत मय भूमि विकास बैंक राजसमन्द के अनुबंधित वाहन बोलेरो नं. आर0जे0-30-टी0ए0-1860 व चालक श्री सोहनलाल के तथा परिवादी श्री बरदु बैरवा उसकी निजी मोटरसाइकिल से तथा कानि. प्रदीप सिंह नं. 162 व भंवरदान कानि. नं. 414 उसकी निजी मोटरसाइकिल से ग्राम सातलियास से कुछ पहले हाइवे रोड के किनारे पहुंच कर वाहनो को सडक के किनारे खडा कर आरोपी श्री राम लाल माली ग्राम विकास अधिकारी के परिवादी बरदु बैरवा के मोबाईल फोन पर कॉल आने की सूचना के इन्तजार मे रूके रहे। समय 6.30 पी.एम पर आरोपी श्री राम लाल माली ग्राम विकास अधिकारी ने परिवादी श्री बरदू बैरवा को ग्राम सातलियास आने के लिये कोई सूचना नहीं दी जिस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होने से परिवादी श्री बरदू बैरवा को सूपुर्द की हुई रिष्वत राषि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोट कुल 15,000/-रूपये एवं 500-500 रूपये के 270 डमी नोट कुल 1,35,000/- रूपये के डमी नोट को हुबहु अवस्था में परिवादी के पहने

हुये कुर्ते की दाहिनी जेब से स्वतंत्र गवाह श्री मंगलचन्द लेगा द्वारा निकलवाई जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाई गई तथा परिवादी को सूपुर्द किया हुआ डिजीटल वॉइस टेप रिकॉर्डर भी प्राप्त कर ट्रेप बॉक्स में ही रखा गया। तत्पष्चात परिवादी को दिनांक 02.05.2024 को यदि आरोपी राम लाल माली ग्राम विकास अधिकारी का दुरभाष फोन आता है तथा रिष्वत राषि लेकर बुलाता है तो तुरन्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को या कानि. भंवरदान नं. 414 को फोन कर सूचना करने हेतु निर्देषित किया गया उसके बाद परिवादी को उसकी मोटरसाइकिल से रूकसत कर मन् हिम्मत चारण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो टीम के सदस्य श्री यषवन्त ंिसंह वरिष्ठ सहायक, श्री जितेन्द्र कुमार कानि. नं. 262 व चालक मनोज कुमार कानि. नं. 23 मय लेपटॉप, प्रिन्टर, टेªप बॉक्स व ब्यूरो के सरकारी वाहन स्विफ्ट कार नं. आर0जे0-14-वी0सी0-2589 से तथा श्री मंषाराम पुलिस निरीक्षक मय हैड कानि. नं. 117, महिला हैड कानि. श्रीमती सीता नं. 233 व स्वतंत्र गवाह श्री मंगलचन्द लेघा व श्री हनुमानराम मय भूमि विकास बैंक राजसमन्द के अनुबंधित वाहन बोलेरो नं. आर0जे0-30-टी0ए0-1860 व चालक श्री सोहनलाल के तथा कानि. प्रदीप सिंह नं. 162 व भंवरदान कानि. नं. 414 उसकी निजी मोटरसाइकिल से ग्राम सातलियास के पास उक्त स्थान से ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द के लिये रवाना हो समय 8.00 पी.एम पर मन्् हिम्मत चारण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो टीम के सदस्य श्री यषवन्त ंिसंह वरिष्ठ सहायक, श्री जितेन्द्र कुमार कानि. नं. 262 व चालक मनोज कुमार कानि. नं. 23 मय लेपटॉप, प्रिन्टर, टेªप बॉक्स व ब्यूरो के सरकारी वाहन स्विफ्ट कार नं. आर0जे0-14-वी0सी0-2589 से तथा श्री मंषाराम पुलिस निरीक्षक मय हैड कानि. नं. 117, महिला हैड कानि. श्रीमती सीता नं. 233 व स्वतंत्र गवाह श्री मंगलचन्द लेघा व श्री हनुमान राम मय भूमि विकास बैंक राजसमन्द के अनुबंधित वाहन बोलेरो नं. आर0जे0-30-टी0ए0-1860 व चालक श्री सोहनलाल के तथा कानि. प्रदीप सिंह नं. 162 व भंवरदान कानि. नं. 414 उसकी निजी मोटरसाइकिल से ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द उपस्थित आये तथा ट्रेप बॉक्स जिसमें फिनोफ्थेलीन पाउडर लगी रिश्वती राषि रखी गई थी व डिजीटल वॉइस टेप रिकॉर्डर भी रखा गया था जिस ट्रेप बॉक्स को मालखाना प्रभारी गोविन्दनारायण हैड कानि. नं. 117 को सुरक्षित मालखाना मे रखने हेतु सूपुर्द किया गया तथा दोनो ही स्वतंत्र गवाहान को दिनंाक 02.05.2024 को सुबह 08.00 एएम पर पुनः उपस्थित होने हेतु निर्देषित कर रूकसत किया गया। दिनांक 02.05.2024, समय 08.00 ए.एम पर दोनो ही स्वतंत्र गवाहान श्री मंगलचन्द लेघा व श्री हनुमान राम कार्यालय हाजा में उपस्थित आये जिन्हें कार्यालय कक्ष में बिठाया गया दिनांक 02.05.2024, को समय 03.30 पी.एम पर कानि. भंवरदान नं. 414 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि '' मुझे अभी-अभी परिवादी श्री बरदू बैरवा ने जरिये दुरभाष बताया कि राम लाल माली ग्राम विकास अधिकारी आज अभी 05.30 पीएम तक सातलियास आकर मुझे रिश्वत राषि 1,50,000 रूपये लेने के लिये फोन करेंगे इसलिये आप सभी भी 05.30 बजे से पहले यहा पर आ जाना'' कानि. भंवरदान नं. 414 के बताये अनुसार मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नं. 117 से मालखाना से ट्रेप बॉक्स को निकलवाकर साथ लेने हेतु निर्देषित कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु कानि. प्रदीप सिंह नं. 162 व भंवरदान नं. 414 को उसकी निजी मोटरसाइकिल से रवाना कर साथ ही मन् हिम्मत चारण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो टीम के सदस्य श्री यषवन्त ंिसंह वरिष्ठ सहायक, श्री जितेन्द्र कुमार कानि. नं. 262 व चालक मनोज कुमार कानि. नं. 23 मय लेपटॉप, प्रिन्टर, टेªप बॉक्स व ब्यूरो के सरकारी वाहन स्विफ्ट कार नं. आर0जे0-14-वी0सी0-2589 से तथा श्री मंषाराम पुलिस निरीक्षक मय हैड कानि. नं. 117, महिला हैड कानि. श्रीमती सीता नं. 233 व स्वतंत्र गवाह श्री मंगलचन्द लेघा व श्री हनुमान राम मय भूमि विकास बैंक राजसमन्द के अनुबंधित वाहन बोलेरो नं. आर0जे0-30-टी0ए0-1860 व चालक श्री सोहनलाल के ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द से ग्राम सातलियास जिला भीलवाडा के लिये रवाना हुये। समय 04.45 पी.एम पर मन् हिम्मत चारण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो टीम के सदस्य श्री यषवन्त ंिसंह वरिष्ठ सहायक, श्री जितेन्द्र कुमार कानि. नं. 262 व चालक मनोज कुमार कानि. नं. 23 मय लेपटॉप, प्रिन्टर, टेªप बॉक्स व ब्यूरो के सरकारी वाहन स्विफ्ट कार नं. आर0जे0-14-वी0सी0-2589 से तथा श्री मंषाराम पुलिस निरीक्षक मय हैड कानि. नं. 117, महिला हैड कानि. श्रीमती सीता नं. 233 व स्वतंत्र गवाह श्री मंगलचन्द लेगा व श्री हनुमान राम मय भूमि विकास बैंक राजसमन्द के अनुबंधित वाहन बोलेरो नं. आर0जे0-30-टी0ए0-1860 व चालक श्री सोहनलाल के ग्राम सातलियास से पूर्व हाइवे रोड के किनारे जगह देखकर वाहनो को खडा कर मुकिम रहे कि कुछ समय के पश्चात ही वहीं पर कानि. प्रदीप सिंह नं. 162 व भंवरदान नं. 414 भी उसकी निजी मोटरसाइकिल से उक्त स्थान पर उपस्थित आये तथा सूचना पर परिवादी श्री बरदु बैरवा भी उसकी निजी मोटरसाइकिल से उपस्थित आया। समय 05.26 पी.एम पर मन् हिम्मत चारण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी श्री बरदू बैरवा ने अपने मोबाईल फोन नंबर 9983357717 से आरोपी श्री राम लाल माली ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नंबर 9649549048 पर लोकेशन जानने हेतु व रिश्वत राशि के प्राप्त करने के स्थान की जानकारी करने हेतु की गई साधारण कॉल को कानि. भंवरदान नं. 414 से ट्रेप बॉक्स में से डिजीटल वॉइस टेप रिकॉर्डर को निकलवाकर उसे चालु कर रिकॉर्ड कराया गया तथा डिजीटल वॉइस टेप रिकॉर्डर को बंद कर अपने पास ही सुरक्षित रखा। उक्त मोबाईल वार्ता से आरोपी राम लाल ने परिवादी बरदु बैरवा को रिश्वत राषि लेकर हाईवे रोड के किनारे ग्राम सातलियास से पहले महेन्द्र पारस होटल पर ही बुलाया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री मंगलचन्द लेघा से ट्रेप बॉक्स में से दिनांक 01.05.2024 को सुरक्षित रखी रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोट कुल 15,000/-

रूपये एवं 500-500 रूपये के 270 डमी नोट कुल 1,35,000/- रूपये के डमी नोट को हुबहु अवस्था में निकलवाकर परिवादी के पहने हुये कुर्ते की दाहिनी जेब में रखवाये जाकर मन् हिम्मत चारण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री बरदू बैरवा को मय रिश्वती राशि के डिजिटल वॉइस टेप रिकॉर्डर को चालु कर सूपुर्द कर महेन्द्र पारस होटल पर जाने हेतु मय उसकी निजी मोटरसाइकिल के रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व हमराह ब्यूरो टीम व वाहन के उक्त महेन्द्र पारस होटल के पास पहुंच वाहनों को एक तरफ खडा कर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी बरदु बैरवा व आरोपी श्री राम लाल माली ग्राम विकास अधिकारी पर नजर रखकर उनके क्रिया कलाप व रिश्वत राशि के लेन-देन को देखने व सुनने व परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में मुकिम रहे। समय 05.47 पी.एम. पर परिवादी श्री बरदू बैरवा द्वारा ब्यूरो जाप्ता को अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर निर्धारित ईशारा किया। जिस पर तुरन्त ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, हमराह उपरोक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री मंगलचन्द लेघा, श्री हनुमान राम तथा ट्रेप पार्टी के सदस्य श्री मंषाराम पुलिस निरीक्षक, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं0 262, श्री गोविन्दनारायण हैड कानि0 नं0 117, श्रीमती सीता हैड कानि0 नं0 233, श्री प्रदीप ंिसंह कानि0 नं0 162, श्री भंवरदान कानि0 नं0 414 व यषवंत सिंह व0सहायक के भीलवाडा राजसमन्द हाईवे पर स्थित महेन्द्र पारस होटल के बरामदे में तेज-तेज कदमों से पहूंचे। जहां पर परिवादी श्री बरदू बैरवा व उसके पास एक व्यक्ति खडा मिला। परिवादी ने अपने पास रखे डिजीटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सिपूर्द किया। जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। तत्पष्चात परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पास ही खडे व्यक्ति की ओर ईषारा कर बताया कि ''यही श्री रामलाल मालीे तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी है जिसने मुझसे अभी-अभी 1,50,000 रूपये रिष्वत के रूप में लेकर इनकी पहनी हुयी पेन्ट की सामने की बायीं जेब में रखे है।'' तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं का तथा हमराहियान जाप्ता ब्यूरो टीम का परिचय देते हुए उक्त आरोपी से उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री रामलाल माली तत्का0 ग्राम विकास अधिकारी सातलियास हाल नेगडिया खेडा पंचायत समिति सहाडा जिला भीलवाडा मो0नं0 9649549048 होना बताया। आरोपी श्री रामलाल माली से होटल के बाहर खडा ब्रेजा वाहन संख्या आरजे 51 सीए 5930 किसके नाम होना पुछा गया तो आरोपी श्री रामलाल माली ने उक्त वाहन स्वयं के नाम होना तथा उक्त वाहन में अपनी मां एवं पत्नी के साथ कुआरिया से गंगापुर जाना बताया। जिस पर ब्रेजा वाहन संख्या आरजे 51 सीए 5930 की तलाषी दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष लिवायी गई तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नही मिली ओर ना ही कोई वस्तु/दस्तावेजात जप्त किये गये। उक्त वाहन 90,000 किलो मीटर चला हुआ होकर सैकण्ड हैण्ड क्रय करना बताया। आरोपी की पत्नी श्रीमती ललिता देवी को उक्त वाहन की चाबी सिपूर्द कर, आरोपी का एक हाथ श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं0 162 एवं दूसरा हाथ श्री यषवंत सिंह वरिष्ठ सहायक से कलाई से उपर पकडवाया जाकर, सांगास चौराया महेन्द्र पारस होटल आम रोड होने तथा लोगों की आवाजाही होने से, उसी अवस्था में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं0 162, श्री यषवंत सिंह वरिष्ठ सहायक मय आरोपी मय सरकारी कार (स्विफ्ट डिजायर) मय चालक श्री मनोज कानि0 नं0 23 के तथा श्री मंषाराम पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री मंगलचन्द लेघा, श्री हनुमान राम, श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नं0 117, श्रीमती सीता हैड कानि0 नं0 233 भूमि विकास बैंक का अनुबन्धित वाहन संख्या आर.जे.30 टी ए 1860 .मय चालक सोहन लाल के तथा परिवादी श्री बरदु बैरवा को उसकी निजी मोटरसाईकिल एवं श्री प्रदीप सिंह कानि0 नं0 162 व श्री भंवरदान कानि0 नं0 414 को उसकी निजी मोटरसाईकिल से सांगास चौराया महेन्द्र पारस होटल से रवाना हो समय 06.15 पी0एम0 पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना गंगापुर पहुंचा। आरोपी श्री रामलाल माली से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री बरदु बैरवा से 1,50,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबंध में पूछा तो आरोपी ने कहा कि मैंने कोई रिश्वत राशि नहीं ली है। जिस पर परिवादी ने स्वतः ही बताया कि श्री रामलाल माली झुठ बोल रहे है श्री रामलाल माली ने मेरे भाई श्याम लाल की पत्नी गोदावरी देवी के नाम से गांव सातलियास में प्लॉट का पट्टा और रजिस्ट्री देने के लिए तथा मेरे गांव सातलियास में ही मेरे घर के पास पुराना कब्जा शुदा प्लॉट का पट्टा मेरी पत्नी लेहरी देवी के नाम पर बनाने हेतु फाईल तैयार कराने के लिए मुझसे 2,50,000/-रूपये रिश्वत की मांग की तथा दिनांक 13.04.2023 को दौराने रिष्वत राषि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 3000/- रूपये प्राप्त कर 1,50,000 रूपये लेने पर सहमत हुए जो मैने अभी-अभी सचिव साहब को दिए है जो इन्होने अपने हाथों मंे लेकर अपनी पहनी हुयी पेंट की सामने की बायी जेब में रखे है। तत्पष्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चालू कर दिनंाक 20.03.24 व 13.04.2024 को परिवादी श्री बरदु बैरवा व उक्त आरोपी श्री रामलाल के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताए व आज ट्रेप कार्यवाही के दौरान वक्त रिश्वत राशि लेन-देन हुई रिकॉर्ड शुदा वार्ता को आरोपी श्री रामलाल माली को सुनाया जाकर आरोपी श्री रामलाल माली को उक्त मांग सत्यापन वार्ताए व रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता के संबंध में पूछा तो आरोपी श्री रामलाल माली ने बताया कि साब गलती हो गयी है, मुझे माफ कर दो। मैने श्री बरदु बैरवा के भाई श्याम लाल की पत्नी गोदावरी देवी के नाम से गांव सातलियास में प्लोट का पट्टा और रजिस्ट्री देने के लिए तथा श्री बरदु बैरवा का कब्जा शुदा प्लोट का पट्टा उसकी पत्नी श्रीमती लेहरी देवी के नाम की फाईल तैयार कराने के लिए दिनांक 02.05.24 को 1,50,000 रूपये मैंने महेन्द्र पारस होटल पर ग्रहण किए है। तत्पष्चात आरोपी श्री रामलाल माली के हाथ धुलाई की कार्यवाही हेतु श्री

गोविन्द नारायण हैड कानि. नं. 117 से सरकारी कार (स्विफ्ट डिजायर) में रखे ट्रेप बॉक्स को मंगवा कर गोविन्दनारायण हैड कानि0 नं. 117 से ही टे्प बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलासों में पुलिस थाना गंगापुर में रखे हुये पानी के केम्पर में से अलग-अलग साफ पानी भरवाकर मंगवाया तथा उक्त दोनों कांच के गिलासों में अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया तो रंगहीन घोल होना बताया जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री रामलाल माली के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धौवण का मिश्रण हल्का गुलाबी हुआ जिसे उपस्थितगण को दिखाया तो हल्का गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर षिषियों को सिल-चिट कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवा मार्क त्भ्-1 व त्भ्-2 अंकित कर षिषियां कब्जे ब्यूरो ली गई। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री रामलाल माली के बायें हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण का रंग गुलाबी हुआ जिसे भी उपस्थितगण को दिखाया तो रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर षिषियों को सिल-चिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क स्भ्-1 व स्भ्-2 अंकित कर षिषियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् आरोपी श्री रामलाल की जामा तलाषी स्वतंत्र गवाह श्री मंगलचन्द लेघा से लिवाई गई तो श्री मंगलचन्द लेघा के पहनी हुई ग्रे रंग की पेन्ट की सामने की बायीं जेब से रूपये मिले। जिन्हें दोनों स्वतंत्र गवाहान से गिनवाये गये तो भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 के 30 नोट कुल राषि 15,000 रूपये एवं 500-500 रूपये के 270 डमी नोट कुल 1,35,000 रूपये होना बताया। भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोट कुल राषि 15,000 रूपये के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिब शुदा फर्द पेषकषी नोट एवं 500-500 रूपये के 270 डमी नोट कुल 1,35,000 रूपये पूर्व में मुर्तिब शुदा फर्द पेषकषी नोट जिसमें परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो के फोटो में अंकित नंबरों से करवाया गया तो नोटो के नम्बर हूबहू पाये गये तथा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोट कुल राषि 15,000 रूपये के नम्बर निम्नानुसार समान पाये गयेः- क्रम संख्या नोट का प्रकार नोट नम्बर 1 500 रूपये का एक नोट 7SR 181055 2 500 रूपये का एक नोट 3VN 270670 3 500 रूपये का एक नोट 2CL 109677 4 500 रूपये का एक नोट 3ET 359579 5 500 रूपये का एक नोट 0GP 884277 6 500 रूपये का एक नोट 3RV 650880 7 500 रूपये का एक नोट 6TK 042686 8 500 रूपये का एक नोट 5KN 686556 9 500 रूपये का एक नोट 9TB 130401 10 500 रूपये का एक नोट 1FU 700938 11 500 रूपये का एक नोट 0CN 617888 12 500 रूपये का एक नोट 6QK 264298 13 500 रूपये का एक नोट 1HQ 486640 14 500 रूपये का एक नोट 3CW 745392 15 500 रूपये का एक नोट 3HA 989660 16 500 रूपये का एक नोट 9BC 942380 17 500 रूपये का एक नोट 8FN 527589 18 500 रूपये का एक नोट 6CQ 389182 19 500 रूपये का एक नोट 6QV 071057 20 500 रूपये का एक नोट 1EK 204567 21 500 रूपये का एक नोट 9AC 286649 22 500 रूपये का एक नोट 7UF 935596 23 500 रूपये का एक नोट 5UW 391893 24 500 रूपये का एक नोट 4PR 925998 25 500 रूपये का एक नोट 5MS 048713 26 500 रूपये का एक नोट 4NM 734380 27 500 रूपये का एक नोट 0RN 983551 28 500 रूपये का एक नोट 3BM 459816 29 500 रूपये का एक नोट 0PF 860517 30 500 रूपये का एक नोट 7VM 181218 भारतीय चलन मुद्रा के नोट 500-500 रूपये के 30 नोट कुल राषि 15,000 रूपये पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष एक सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं डमी नोट 500-500 रूपये के 270 कुल 1,35,000 रूपये को भी अलग से कपडे़ की थैली में रखवाये जाकर सिलबन्द कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। तत्पष्चात आरोपी श्री रामलाल माली ग्राम विकास अधिकारी को परिवादी श्री बरदु बैरवा के भाई श्री श्याम लाल की पत्नी गोदावरी देवी के नाम से गांव सातलियास में प्लोट का पट्टा और रजिस्ट्री के मूल दस्तावेजात बाबत पुछा गया तो आरोपी श्री रामलाल माली ने बताया कि उक्त दस्तावेजात ग्राम पंचायत सातलियास पंचायत समिति सहाडा में रखे हुए है जो मैं साथ चल कर उपलब्ध करा सकता हूं। जिस पर श्री कैलाष चन्द्र बसेर विकास अधिकारी पंचायत समिति सहाडा जिला भीलवाडा को ग्राम पंचायत सातलियास पंचायत समिति सहाडा पर उपस्थित होकर परिवादी श्री बरदु बैरवा के भाई की पत्नी गोदावरी देवी का पट्टा संबधित दस्तावेजात उपलब्ध कराने हेतु निर्देषित किया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनो ही स्वतंत्र गवाहान व उपस्थित जाप्ता के समक्ष आरोपी श्री रामलाल माली की पहनी हुई ग्रे रंग की पेन्ट की सामने की बायीं जेब से भारतीय चलन मुद्रा के नोट 500-500 रूपये के 30 नोट कुल राषि 15,000 रूपये एवं डमी नोट 500-500 रूपये के 270 कुल 1,35,000 रूपये बरामद होने से उक्त पहनी हुई ग्रे रंग की पेन्ट को ससम्मान उतरवाई जाकर उक्त पेन्ट की सामने की बायीं जेब को उलटवाकर धुलवाने हेतु हैड कानि0 श्री गोविन्दनारायण नं0 117 से ही ट्रेप बॉक्स में से ही एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर उसे साफ पानी से धुलवा उसमें पानी के केम्पर से ही साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार कराया गया जो रंगहीन रहा। उक्त गिलास में रखे रंगहीन घोल में उक्त ग्रे रंग की पेन्ट की सामने की बायीं जेब को उलटवाई हुई को डुबोकर धुलवाया गया तो उक्त जेब का धौवण गुलाबी हो गया। उक्त गुलाबी घोल को दो अलग-अलग साफ कांच की षिषियों में भरवाकर सीलचिट कर धौवण की षिषियों को मार्क क्रमषः P-1 व P-2 अंकित किया गया। तत्पष्चात् उक्त ग्रे रंग की पेन्ट की सामने

की बायी जेब को सुखाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। त्तपष्चात उक्त पेन्ट को समेटकर एक सफेद कपडे की थैली में सिलचिट कर मार्क च् अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो ली गई। फर्द नक्षा मौका घटनास्थल निरीक्षण किया जाकर नक्षा मौका प्रथक से मूर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी के कस्बा गंगापुर में पैतृक रिहायषी मकान की खाना तलाषी ली जाकर प्रथक से फर्द खाना तलाषी मूर्तिब की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। ग्राम सातलियास से परिवादी श्री बरदू बैरवा के भाई श्याम लाल की पत्नी गोदावरी देवी के नाम रसीद संख्या 23 दिनांक 29.06.21 को 120 रूपये की कटी हुई ग्राम पंचायत सातलियास की रसीद बुक मूल जरिये फर्द जप्त की गई तथा फर्द जप्ती पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तथा ग्राम पंचायत नेगडिया खेडा से परिवादी श्री बरदू बैरवा के भाई श्याम लाल की पत्नी गोदावरी देवी के नाम जारी पट्टा संख्या 22 दिनांक 23.05.2023 का सरपंच श्रीमती सीमा देवी जाट एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री रामलाल माली के संयुक्त हस्ताक्षर मय सील का जारी षुदा एवं उक्त जारी पट्टे के रजिस्टी की मूल प्रति जरिए फर्द जप्त कर शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी श्री रामलाल तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी सातलियास हाल नेगडिया खेडा पंचायत समिति सहाडा जिला भीलवाडा के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री रामलाल ग्राम विकास अधिकारी को नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी, फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताए, मोबाईल वार्ताए एवं फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि लेन देन वार्ता, फर्द आवाज पहचान, फर्द मोबाईल जप्ती, फर्द मेमोरी कार्ड एवं फर्द नष्टीकरण अलग से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियांे से पाया गया कि आरोपी श्री रामलाल माली तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी सातलियास हाल नेगडिया खेडा पंचायत समिति सहाडा जिला भीलवाडा द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादी श्री बरदु बैरवा के भाई श्याम लाल की पत्नी गोदावरी देवी के नाम से गांव सातलियास में प्लोट का पट्टा और रजिस्ट्री देने के लिए तथा श्री बरदु बैरवा का कब्जा शुदा प्लोट का पट्टा उसकी पत्नी श्रीमती लेहरी देवी के नाम पर फाईल तैयार कराने की एवज में दिनांक 20.03.2024 व दिनंाक 13.04.2024 को दौराने रिष्वत राषि मांग सत्यापन वार्ता परिवादी श्री बरदू बैरवा पुत्र लाला बैरवा गांव सातलियास तहसील गंगापुर जिला भीलवाडा से 2,50,000/-रूपये रिश्वत की मांग करना तथा 1,50,000 रूपये लेने पर सहमत होना तथा दौराने मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 13.04.2024 को परिवादी से 3000/- रूपये प्राप्त करना तथा मांग अनुसार दिनांक 02.05.24 को दौराने ट्रेप कार्यवाही वक्त रिश्वत राशि लेन-देन भारतीय चलन मुद्रा के नोट 500-500 रूपये के 30 नोट कुल राषि 15,000 रूपये एवं डमी नोट 500-500 रूपये के 270 कुल 1,35,000 रूपये आरोपी श्री रामलाल माली ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्राप्त कर अपने हाथों में लेकर पहनी हुई पेन्ट बरंग ग्रे की सामने की बायीं जेब में रखना व आरोपी श्री रामलाल माली की पहनी हुई उक्त ग्रे रंग की पेन्ट की सामने की बायीं जेब से रिष्वत राषि भारतीय चलन मुद्रा के नोट 500-500 रूपये के 30 नोट कुल राषि 15,000 रूपये एवं डमी नोट 500-500 रूपये के 270 कुल 1,35,000 रूपये बरामद होना तथा उक्त आरोपी श्री रामलाल माली द्वारा परिवादी श्री बरदू बैरवा से रिष्वत राषि ग्रहण करने के पश्चात दोराने ट्रेप कार्यवाही हाथ धुलाई के उपरांत दोनो हाथों के धोवण का रंग गुलाबी व हल्का गुलाबी होना व उक्त आरोपी श्री रामलाल माली की पहनी हुई ग्रे रंग की पेन्ट की सामने की बायीं जेब के धोवण का रंग भी गुलाबी होना पाया जाने से आरोपी श्री रामलाल पुत्र श्री बरदीचन्द माली जाति माली उम्र 47 वर्ष निवासी एलआईसी ऑफिस के सामने वाली गली सांई सिद्धार्थ स्कूल कस्बा गंगापुर तहसील सहाड़ा, पुलिस थाना गंगापुर, जिला भीलवाड़ा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी सातलियास हाल नेगडिया खेडा पंचायत समिति सहाडा जिला भीलवाडा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) का प्रथम दृष्टया अपराध होना प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री रामलाल माली तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी सातलियास हाल नेगडिया खेडा पंचायत समिति सहाडा जिला भीलवाडा के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान्् महानिदेषक महोदय भ्र0 नि0 ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय (हिम्मत चारण) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमन्द ....कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हिम्मत चारण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमंद ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रामलाल पुत्र श्री बरदीचन्द माली जाति माली उम्र 47 वर्ष निवासी सांई सिद्धार्थ स्कुल कस्बा गंगापुर तहसील सहाड़ा पुलिस थाना गंगापुर जिला भीलवाड़ा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी सातलियास हाल नेगडिया खेडा पंचायत समिति सहाडा जिला भीलवाडा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री विक्रम सिंह, अति0 अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर को सुपुर्द कर नियमानुसार जारी की गई। उक्त की रोजनामचा आम रपट 55 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक.प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। क्रमांक 358-61 दिनांक 04.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा। 2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमंद। पुलिस अधीक्षक.प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Vikram Singh Rathore **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 04/05/2024 15:24:14

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1977				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)